

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06 / 09 / 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **4.957 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Gwala to Bherni motor Road Under Mukhya Mantri Ghosna** falls within jurisdiction of Tefna(Gwala) Village in Karanprayag Tehsil And Punkila, Rajbagti (Simli magri), Bherni (Paniger), Bherni village in Tehsil-Ghat,

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.957 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

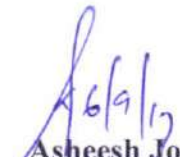

Asheesh Joshi
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 06.09.2017. At ~~2.40.17~~ 02.40.17 at Chamoli in which the application claiming rights in village - Tefna(Gwala)Tehsil-Karanprayag And Village- Punkila, Rajbagti(Simli magri), Bherni(Paniger), Bherni of Tehsil-Ghat, area Measuring 4.957 Hectares for the **Construction of Gwala to Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag and Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Asheesh Joshi
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.150 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-कर्णप्रयाग) की दिनांक 30/08/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0 एन0 गोस्वामी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री के. एन. गोस्वामी उपजिलाधिकारीअध्यक्ष

2- श्री जुगल किशोर उपप्रभागीय वनाधिकारीसदस्य

3- श्री धनंजय सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारीसदस्य/सचिव

4- श्री मदिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समिति सदस्यकाशी

श्री मालवन प्रोहित वन अधिकार समिति सदस्यमालवन प्रोहित

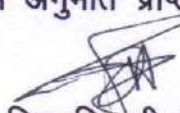
श्रीमती सुशीला देवी वन अधिकार समिति सदस्यसुशीला देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.150 हे0 वनभूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के विक; खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.150 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद -चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.832 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.975 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.807 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-चमोली) की दिनांक 05/09/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री परमानन्द राम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री परमानन्द राम उपजिलाधिकारी चमोली अध्यक्ष
- 2- श्री पुष्पाक्षर सिंह उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री दामोदर सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री महिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समिति सदस्य
- श्री मालदत्त पुरोहित वन अधिकार समिति सदस्य
- श्री सुशीला देवी वन अधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.807 हे0, वनभूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा

द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के दिकान खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.807 हे० वन भू-लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
चमोली
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
चमोली
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-तेफना (ग्वाला तोक)

तहसील:- कर्णप्रयाग जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.150 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेफना (ग्वाला तोक) द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तेफना (ग्वाला तोक) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव



ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २७/०९/१७ को ग्राम सभा तेफना (गवाला तोक) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

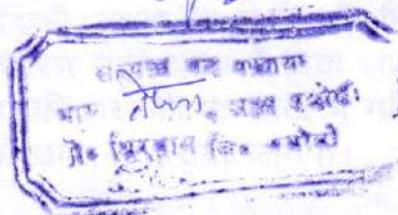
ग्राम पंचायत तेफना (गवाला तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कुवर सिंह केला	कुवर सिंह
2.	जीतपाल सिंह	जीतपाल
3.	लाल सिंह	लाल सिंह
4.	नरेंद्र सिंह बिहारी	नरेंद्र सिंह
5.	धन सिंह	धन सिंह
6.	प्रेम सिंह राणा	प्रेम सिंह
7.	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र
8.	गंगाधर सिंह	गंगाधर
9.	गोपेन्द्र सिंह	गोपेन्द्र
10.	कमला देवी	कमला देवी
11.	बेला देवी	बेला देवी
12.	अमिता देवी	अमिता देवी
13.	अमिता देवी	अमिता देवी
14.	जीतपाल केला	जीतपाल केला

ह0/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
तेफना
विकास



परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-पुणकिला
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

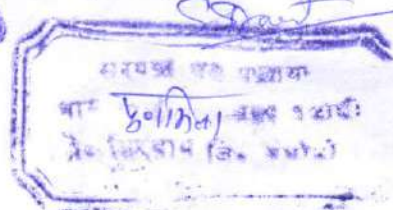
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.024 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.024 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुणकिला द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुणकिला के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
ह0/ =
ग्राम सचिव



ह0/ =
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 28/08/17 को ग्राम सभा पुणकिला की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुणकिला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	जयलाल	जयलाल
2.	विष्णु लाल	विष्णु लाल
3.	नरिन्द्र सिंह	नरिन्द्र सिंह
4.	राजेश सिंह	राजेश सिंह
5.	सज्जु देवी	सज्जु देवी
6.	आनंद सिंह	आनंद सिंह
7.	अमिता देवी	अमिता देवी
8.	अजय सिंह	अजय सिंह
9.	बादल सिंह	बादल सिंह
10.	जगत सिंह	जगत सिंह
11.	राम सिंह	राम सिंह
12.	शुभ सिंह	शुभ सिंह
13.	सोनी देवी	सोनी देवी
14.	अधुना सिंह	अधुना सिंह
15.	वल्लरी देवी	वल्लरी देवी
16.	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
17.	पूरन सिंह	पूरन सिंह

आयुक्त
ग्राम पंचायत
पुणकिला
दिनांक 28/08/17

ह0/-

ग्राम प्रधान

ग्राम सभा पुणकिला
दिनांक 28/08/17
(अधुना सिंह)

ग्राम पंचायत
पुणकिला
दिनांक 28/08/17

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-राजबगटी (सिमली मगरी)

तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

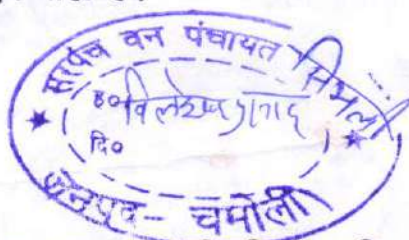
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.680 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.736 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.416 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राजबगटी (सिमली मगरी) द्वारा दिनांक 2.8/08/17 ...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राजबगटी (सिमली मगरी) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

~~प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।~~

ह0/-
ग्राम सचिव



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-भेरणी (पाणीगैर)

तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

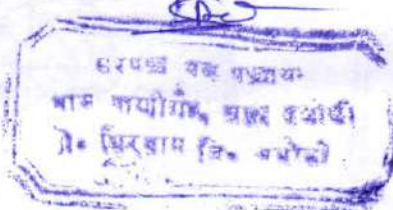
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.128 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.128 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी (पाणीगैर) द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी क. कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी (पाणीगैर) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ह0/सं. वन-घाट (चमोली)
ग्राम सचिव



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 28/08/17 को ग्राम सभा भेरणी (पाणीगैर) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत भेरणी (पाणीगैर)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	राधुवीर सिंह रावत	
	मोहन सिंह	moohan Singh
	उद्योत सिंह	Udyot Singh
	नोमा देवी	नोमा देवी
	चंदा देवी	चंदा देवी
	सावित्री देवी	सावित्री देवी
	आनंद सिंह	आनंद सिंह
	दिलवर सिंह	दिलवर सिंह
	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
	गोबिंद सिंह	गोबिंद सिंह
	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
	मखन सिंह	मखन सिंह
	मुन्ना देवी	मुन्ना देवी
	नीला देवी	नीला देवी
	सावित्री देवी	सावित्री देवी
	गुलाब सिंह	गुलाब सिंह
	गमधर सिंह	गमधर सिंह

ग्राम पंचायत भेरणी
हस्ताक्षर
दिनांक 28/08/17
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत भेरणी
क्षेत्र
विकास

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत भेरणी
क्षेत्र
विकास

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-भेरणी
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.239 हे0 व. पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.239 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २७/०८/१७ को ग्राम सभा भेरणी की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत भेरणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	अरुण सिंह	अरुण सिंह
	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
	जमन सिंह	जमन सिंह
	दिलवर सिंह	दिलवर सिंह
	गंगी लाल	गंगीलाल
	रविशंकर लाल	रविशंकर लाल
	माधव देवी	माधव देवी
	लुटडी लाल	लुटडी लाल
	लाल लाल	लाल लाल
	कवरी देवी	कवरी देवी
	वीना देवी	वीना देवी
	पविता देवी	पविता देवी
	शशि देवी	शशि देवी
	अमली देवी	अमली देवी
	विमला देवी	विमला देवी
	पुष्पा सिंह	पुष्पा सिंह
	अमिता देवी	अमिता देवी
	जसपाल सिंह	जसपाल सिंह

मा० १०/१५
दिनांक २७/०८/१७
विकास खंडाध्यक्ष (वमोडी)

ग्राम पंचायत भेरणी
ह०-मंज देवी
विकास विभाग-ह०/-
ग्राम प्रधान

समाप्त - २७/०८/१७
०२
०३
२७/०८/१७
समाप्त - २७/०८/१७